न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–47/20 (2020/00075) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–कंकु पत्नि लेहरू तेली निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीया

बनाम

1–मांगु आत्मज बगतावर जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1–नन्दराम आत्मज मांगु जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2–चतरू आत्मज मांगु जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/3–कंकु आत्मज डालु जाट निवासी आमली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर–

प्रार्थीया अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 08.10.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बोरियापुरा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1561 रकबा 0.88 है0, आराजी संख्या 1560 रकबा 0.21 है0 भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 1.09 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थीया अपनी आराजी संज, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि सहित आवागमन ग्राम बोरियापुरा से गंगुपर जाने वाली सड़क से होकर आगे बिलानाम रास्ता की आराजी संख्या 1696, 1693 से होकर आगे विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी आराजी संख्या 1557 की उत्तरी पाली पर स्थित 20 फीट चौड़े रास्ते में होकर अपनी आराजी संख्या 1561 में प्रवेश करती है। उक्त रास्ता कई वर्षो पुराना है तथा प्रार्थीया ने उक्त भूमि खरीदी जिनके भाई बन्धो से विपक्षी ने भी खरीदी तथा पक्षकारान के खरीदने से पूर्व ही स्थित था तब से उक्त रास्ता प्रार्थीया के आवागमन के काम आ रहा है। प्रार्थीया की आराजियात में आवागमन करने का एकमात्र यही रास्ता स्थित है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता मौजुद नही है। विपक्षी द्वारा रास्ता बंद करने के लिए धमकी दी एवं आवागमन करने के लिए मना कर दिया जिससे उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जाना नितान्त आवश्यक हो गया। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम बोरियापुरा की आराजी संख्या 1561 व 1560 जो प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार मे है जिसमे आवागमन का रास्ता विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 1557 की उत्तरी पाली पर 20 फीट चौड़ाई मे स्थित है को बिलानाम किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार साहब रायपुर को प्रदान कराया जावे। विपक्षी को पाबंद कराया जावे कि वह उक्त रास्ते को सदैव खुला रखे व उसे बन्द नही करे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 22.05.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही करने का निणर्य लिया गया। तथा विपक्षी संख्या 2 फौरमल पक्षकार होने से प्रार्थीया अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है।

तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर ने मौका रिपोर्ट में अकंन किया कि प्रार्थीया आराजी नम्बर 1560 रकबा 0.21 है0 व आराजी नम्बर 1561 रकबा 0.88 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.21 13:22:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—47/20 (2020/00075) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—कंकु पत्नि लेहरू तेली निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीया

बनाम

1—मांगु आत्मज बगतावर जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर मृतक के बजाय

1/1—नन्दराम आत्मज मांगु जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

1/2—चतरू आत्मज मांगु जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

1/3—कंकु आत्मज मांगु जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोरियापुरा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षी संख्या 1 आराजी नम्बर 1557 रकबा 0. 65 है0 मे से 0.0150 है0 यानि 150 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर अनुसार भूमि किमत 5364 रूपये की दुगुनी राशि 10728 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 1 को भुगतान करने पर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

8.10.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.21 13:22:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—47 / 20 (2020 / 00075) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—कंकु पत्नि लेहरू तेली निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीया

बनाम

1—मांगु आत्मज बगतावर जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1—नन्दराम आत्मज मांगु जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2—चतरू आत्मज मांगु जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/3—कंकु आत्मज डालु जाट निवासी आमली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोरियापुरा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षी संख्या 1 आराजी नम्बर 1557 रकबा 0.65 है0 मे से 0.0150 है0 यानि 150 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर अनुसार भूमि किमत 5364 रूपये की दुगुनी राशि 10728 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 1 को भुगतान करने पर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

8-10-2020
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.21 13:22:54 IST
Reason: SelfAttested